**दिनांक 22–23 मई, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–**

---

**1. उपस्थितिः–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी सूचना पूर्व में निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का वेतन संबंधित तिथि को अवरूद्व करने का निर्णय लिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**2. स्थापना :–**

(i) विधान सभा द्वारा परिचारित तारांकित प्रश्न के आलोक में SC/ST पदाधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित सूची सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगी गयी थी परंतु अभी तक कुछ ही जिलों से आंशिक रूप से उक्त सूची प्राप्त हुई है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है। निदेश दिया गया कि उक्त सूची अगले माह के 7वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों जिनका ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. लंबित है की सूची शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास की मांग की गयी थी। परंतु विहित प्रपत्र में उक्त सूचना अधिकांश कार्यालयों से लंबित है। निदेशालय के स्थापना शाखा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अगली माह के 8वीं तारीख तक सभी पदाधिकारियां एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**3. बजट :–**

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्षवार आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय एवं प्रत्यार्पण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) उपशीर्ष, जिसके अन्तर्गत वेतनादि का भुगतान किया जाता है, में बहुत जिलों के द्वारा वेतनादि के अलावे यात्रा भत्ता, वाहन इंधन एवं कार्यालय व्यय मद में काफी राशि प्रत्यार्पित कर दी गई, जबकि कई जिलों में राशि के अभाव में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन शीर्षों के अन्तगर्त आवंटित राशि के नियमित व्यय/समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगें, खासकर कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

**अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा**

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं इसके पूर्व निकासी की गई राशि जिसका व्यय/वितरण दिनांक–31.03.2018 तक संभव नहीं हो सका है तो इस राशि को संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा करने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा कर सहायक अनुदान गैर वेतन मद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रब्बी मौसम के लिए निकासी की गयी राशि को छोड़कर शेष राशि जमा शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना से अभी तक अप्राप्त है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जमा करने योग्य सभी राशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। रोकड़ पंजी संधारित नहीं होने के कारण तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया की चार्टर एकाउन्टेन्ट से दैनिक आय एवं व्यय का ब्योरा तैयार करा लिया गया है एवं 15 दिनों के अन्दर कैश बुक का संधारण कर लिया जायेगा। उन्हें निदेश दिया गया कि जमा किये गये राशि में से आर्थिक गणना, लघु सिंचाई गणना एवं अन्य मदों की राशि जमा शीर्ष अथवा समेकित निधि में जमा की गयी है उसका ब्योरा यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करावें। इस कार्य हेतु उन्हें एक माह का समय दिया गया है।

आर्थिक गणना एवं लघु सिंचाई गणना मद की जो राशि निकासी कर बैंक खातों में रखी गयी एवं जिसका व्यय 31.03.2018 तक संभव नहीं हो सका को संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा कर दी गयी है। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन ट्रेजरी चालान की सत्यापित प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करावें।

**अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं आर्थिक गणना/लघु सिंचाई गणना प्रशाखा**

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगुसराय, मधुबनी, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर एवं प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), दरभंगा भागलपुर मुंगेर द्वारा यह प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। शेष सभी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दो दिन के अन्दर लंबित मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी अगले माह के 8वीं तारीख तक T.V No. एवं तिथि के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरणी अगली माह की 8वीं तारीख तक उपलब्ध नहीं कराने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

**अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा**

(iv) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ कुल 10 AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना**

(v) निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विगत वर्षों में समर्पित DC विपत्रों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु महालेखाकार कार्यालय के भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र का अनुपालन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, मधुबनी, किशनगंज, शेखपुरा एवं पूर्वी चम्पारण से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का जो पत्र महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है, को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने की सूचना देते हुए अनुरोध किया गया कि विगत पाँच वर्षों से लंबित आपत्तियों का निराकरण यथाशीघ्र करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को प्रेषित कर उसकी प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।

**अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा**

(vi) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प० चम्पारण, औरंगाबाद, वैशाली एवं मधुबनी के यहाँ काफी समय से अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि जिला के किसी प्रखड़ों/अंचलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है तो इसकी सूचना तुरंत निदेशालय को दें ताकि निदेशालय स्तर से संबंधित जिला पदाधिकारी को तत्संबंधी पत्र देकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सके।

**अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा**

(vii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकासी की गई राशि में से खरीफ मौसम हेतु निकासी की गई राशि का व्यय एक सप्ताह में एवं रब्बी मौसम हेतु राशि का व्यय एक माह में करते हुए उपयागिता प्रमाण–पत्र उप निदेशक(कृषि) को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही रब्बी मौसम हेतु सहायक अनुदान गैर वेतन मद की जो राशि BTC-42 पर निकासी की गयी है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A पर आवश्यक कागजातों के साथ निदेशालय के लेखा शाखा को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

4. <u>कृषिः–</u>

(i) रब्बी मौसम में गेहूँ के फसल कटनी प्रयोग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों द्वारा शत्–प्रतिशत तथा कुछ जिलों द्वारा आंशिक रूप से फसल कटनी प्रयोग का प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा गया है। राई/सरसों एवं आलू का उपज दर संबंधित बीमा कम्पनी को भेजने का अंतिम तिथि 31.05.2018 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राई/सरसों एवं आलू का लंबित प्रतिवेदन दिनांक 25.05.2018 तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) भदई जिंसवार दरभंगा, जमुई, बांका एवं अररिया जिला, अगहनी जिंसवार दरभंगा, पटना, जहानाबाद, जमुई, बांका एवं अररिया जिला एवं रब्बी जिंसवार पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्परपुर, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियॉ एवं अररिया जिलों से लंबित है। इस प्रकार भूमि उपयोगिता विवरणी पटना, दरभंगा, शेखपुरा, बांका, सुपौल एवं अररिया जिला से लंबित है। कृषि सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रतिवेदनों यथा– फसल कटनी प्रयोग, जिन्सवार, प्रक्षेत्र मूल्य, भूमि उपयोग विवरणी एवं फसल सांख्यिकी सुधार से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रतिवेदनों को शीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) फसल कटनी प्रयोग से संबंधित भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित CCE. Agri. App के संबंध में सचिव महोदय द्वारा समीक्षा किया गया तथा Crop cutting App में Back end Software तैयार करने हेतु भारत सरकार से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**

(iv) फसल कटनी प्रयोग के समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा फसल सहायता योजना लागू किया जाना हैं। जिसके संदर्भ में भदई मकई फसल का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजित करने से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूरी करने का निदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

**अनुपालनः– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**

5. वर्षापातः–

(i) वर्षा के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने का निदेश दिया गया। प्रतिदिन का वर्षापात के आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वर्षापात शाखा**

(ii) सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्र के स्थान को साफ–सफाई करने का निदेश सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिया गया कि साफ–सफाई के उपरांत संबंधित स्थान का फोटो खींचकर तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) वर्षामापक यंत्र से संबंधित समीक्षा के क्रम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया द्वारा यह बताया गया कि मोहरा एवं अतरी प्रखंड में वर्षामापक यंत्र एक ही कैम्पस में अधिष्ठापित है। अतरी प्रखंड का वर्षामापक यंत्र समतल स्थान पर जबकि मोहरा प्रखंड में जगह नहीं मिलने के कारण उक्त यंत्र एक तल्ला भवन के छत पर अधिष्ठापित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया को दोनों वर्षामापक यंत्रों के रिकार्ड में अन्तर को Closely observation तथा मोहरा प्रखंड हेतु समतल स्थान उपलब्ध कराने के लिए निदेशक महोदय के तरफ से जिला पदाधिकारी को पत्र देने निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं वर्षापात शाखा**

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस आशय का एक पत्र दिया जाय कि यदि वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन स्थान के आस–पास यदि कोई नया निमार्ण कार्य होता है तो अधिष्ठापन के मानक के अनुरूप जगह छोड़कर निमार्ण किया जाय। इस पत्र की प्रति संबंधित जिला पदाधिकारी को भी देने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(v) सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि प्रत्येक पंचायत में वर्षामापक यंत्र का अधिष्ठापन किया जाना है। इस संबंध में प्रत्येक पंचायत के सरकारी भवन यथा– स्कूल/पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन के छत पर अधिष्ठापित किया जाय। IMD के मानक शर्तो के आलोक में खाता, खेसरा एवं नजरी–नक्शा सहित स्थान चिन्हित् कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को पत्र देने एवं पत्र की प्रति सभी अपर समाहर्ता तथा सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं वर्षापात शाखा**

6. रान्यासः–

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें सत्र के चतुर्थ उपसत्र में माह–अप्रैल 2018 तक के कार्यो की समीक्षा के क्रम में आंकड़ों की गुणवता सुधारने एवं 75वें सत्र के शेष प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण माह–जून 2018 तक निश्चित रूप से सम्पन्न करा लेने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) प्रत्येक माह के सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि माह–अप्रैल 2018 तक सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ भागलपुर, सारण, बेगुसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पूर्णियॉ में लंबित हैं। भरी हुई अनुसूचियों को दिनांक 30.05.18 तक निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया। पूर्व के बैठक में इस संबंध में सारण निरीक्षणालय को विशेष रूप से निदेशित किया गया था परंतु अबतक फलाफल यथावत पाया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण को इस संबंध में विशेष रूप से निदेशित किया गया कि अपना स्पष्टीकरण तथा अन्वेषक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) प्रत्येक माह का भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन क्रमशः संबंधित माह के 2री एवं 28वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि भ्रमण कार्यक्रम की प्रतिलिपि निश्चित रूप से निदेशालय के साथ–साथ संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी), एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाए।

**अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iv) समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय निरीक्षण की स्थिति दयनीय पायी गयी। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया साथ हीं निरीक्षण के क्रम में पायी गयी त्रुटियों एवं उसके निराकरण को प्रतिवेदन के खंड–4 में अंकित करने हेतु विशेष रूप से निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**7. <u>लघु सिंचाई गणनाः–</u>**

(i) पंचम लघु सिंचाई गणना के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी सूची सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। लभ्य सूची को अपने स्तर से जॉचोपरांत हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (सी.डी) में निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (भागलपुर को छोड़कर)**

(ii) छठी लघु सिंचाई गणना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति के गठन शीघ्रताशीघ्र करते हुए निदेशालय को उसकी प्रतिलिपि लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी(भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी एवं मधेपुरा को छोड़कर)**

**8. <u>जीवनांकः–</u>**

(i) **<u>जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक स्थिति में माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) **<u>प्रतिवेदन प्रेषण स्तरः–</u>** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) **<u>जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः–</u>** जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। अप्रैल 2018 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 32 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। सात जिलों को छोड़कर शेष जिलों में उपलब्धि असंतोषप्रद है। सचिव महोदय द्वारा अगले एक माह के अन्दर लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि शत–प्रतिशत् करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में सचिव महोदय के तरफ से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया। मई माह तक 40 प्रतिशत की उपलब्धि का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त करने का निदेश संबंधित जिलों को दिया गया।

**अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय**

(iv) सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि सभी जिला पदाधिकारी को जिला अन्तर्गत सभी रजिस्ट्रीकरण ईकाइयो में सी.आर.एस. पोर्टल पर ऑन लाईन रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने एवं स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म रजिस्ट्रीकरण के पश्चात ही राज्य से मिलने वाले सहयोग को लाभार्थियों को प्रदान करने संबंधी आशय का पत्र दिया जाय।

**अनुपालनः– निदेशालय**

(v) सचिव महोदय द्वारा जन्म–मृत्य रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निःशुल्क रजिस्ट्रीकरण की निर्धारित अवधि 21 दिन को बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः– निदेशालय**

(vi) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाईयों का निरीक्षण प्रतिवेदन के निर्धारित की संख्या में प्राप्ति की स्थिति अतयन्त ही चिन्ता जनक हैः–

नालन्दा, भोजपुर, गोपालगंज, पू०चम्पारण, मधुबनी, शेखपुरा, भागलपुर, मुंगेर एवं किशनगंज को छोड़कर सभी जिलों से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक स्तर से निरीक्षण प्रतिवेदन लम्बित है। प्रत्येक माह का निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित संख्या के अनुरूप समर्पित करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(vii) **नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनसः–** नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनस असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी 870 की संख्या में विभिन्न जिलों में लम्बित है जिसमे पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, बेगूसराय, गया एवं कटिहार मुख्य है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अविलम्ब सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

**अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(viii) **धारा 4(4)ः–** जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जिला सांख्यिकी कार्यालय का वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन, वर्ष 2017 का 27 जिलों से प्राप्त है। इसकी प्राप्ति की तिथि निदेशालय में फरवरी 2018 तक थी परन्तु 11 जिलों से अभी प्रतिवेदन अप्राप्त है। यह स्थिति चिंताजनक है सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ix) **.टॉस्क फोर्सः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित बैठक कर बैठक की कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

**अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(x) **MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः–** उक्त प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल से प्राप्त होना है। वर्ष 2017 में मात्र भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पटना से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जबकि दरभंगा एवं गया से एक त्रैमासिक प्रतिवेदन लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को लम्बित प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेशित किया गया।

**अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xi) **MCCD प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** वर्ष 2015–2016 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र पटना, मुंगेर, बांका एवं सहरसा से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2012–2014 का MCCD प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दरभंगा एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2013–2014 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र दरभंगा, किशनगंज एवं बांका से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2014–2015 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहरसा एवं पश्चिम चम्पारण से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xii) **SSSP प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** नवादा, पटना, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया एवं मधुबनी से वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xiii) **SSSP होर्डिंग का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल एवं मधेपुरा से वर्ष 2017–18 में होर्डिंग मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(xiv) **मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः–** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का माह मई 2018 का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गोपालगंज, पू०चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर एवं खगड़िया को छोड़कर सभी जिलों से लम्बित है। निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराये।

**अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

## 9. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में मात्र मधुबनी जिला के पंडौल प्रखण्ड का छः पंचायतों, सिवान जिला के सिवान सदर, गुठनी एवं जीरादेई प्रखंड, बांका जिला के नगर परिषद् बॉका एवं नगर पंचायत अमरपुरा से प्रतिवेदन प्राप्त एवं शेष जिलों से पूर्ण प्रतिवदेन अप्राप्त है। संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(i) साधन सांख्यिकी अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की अद्यतन सूची आधार वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में गया, खगड़िया, सारण, वैशाली, भागलपुर एवं सहरसा से प्राप्त एवं पटना, लखीसराय एवं गोपालगंज से आंशिक रूप से प्राप्त है। शेष जिलों को पूर्णरूपेण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) अन्तर्गत चयनित कुल 12 शहरों के संबंधित जिलों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी। परंतु पटना, भोजपुर, मुंगेर, दरभंगा एवं सारण से अप्राप्त है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(iii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन लभ्य कराने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार, सारण, भोजपुर एवं दरभंगा को बार–बार स्मारित करने के बावजूद भी फलाफल यथावत है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

**10.औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं कृषि पदार्थो का थोक मूल्य**

(i) कृषि पदार्थो का थोक मूल्य प्रत्येक सप्ताह में निश्चित रूप से निदेशालय को लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

(ii) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

**अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन की कॉपी मुख्यालय भेजने से पूर्व अपने प्रमंडलीय उप निदेशक को भी सभी प्रतिवेदन को लभ्य करा दिया जाय। प्रमंडलीय उप निदेशक को भी इसकी समीक्षा कर निदेशालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक 31/5

**बिहार सरकार**
**योजना एवं विकास विभाग**
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 600 /पटना, दिनांकः– 01.06.18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/ प्रभारी, निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक। 31/5

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 600/पटना, दिनांकः– 01.06.18

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ईमेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक। 31/05